

प्रेस नोट
जनपद कानपुर देहात

दिनांक:-27.08.2021

**थाना भोगनीपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गौवध अधिनियम के अभियोग मे वांछित
12000/-रु० का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के नेतृत्व में थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 371/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम मे वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र नसीम निवासी कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 24 वर्ष जो थाना भोगनीपुर पर गौवध तस्कर तथा हिस्ट्रीसीटर अपराधी एवं 12000/ रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है। जिसको पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कलीम पुत्र नसीम निवासी कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 81/2018 धारा 420 भादवि थाना डेरापुर कानपुर देहात
2. मु०अ०सं० 183/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
3. मु०अ०सं० 443/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
4. मु०अ०सं० 446/2019 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
5. मु०अ०सं० 613/2019 धारा 3(1) गैगेस्टर अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
6. मु०अ०सं० 70/2020 धारा 3(1) गैगेस्टर अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
7. मु०अ०सं० 371/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना भोगनीपुर कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री बैजनाथ सिंह प्र०नि० थाना भोगनीपुर कानपुर दे०
2. उपनिरीक्षक अनिल कुमार थाना भोगनीपुर कानपुर दे०
3. कां० 1051 रोहित कुमार थाना भोगनीपुर कानपुर दे०
4. कां० 1096 दिव्यांशु तिवारी थाना भोगनीपुर कानपुर दे०
5. चालाक हे० का० 184 गिरेंद्र सिंह थाना भोगनीपुर कानपुर दे०
6. उपनिरीक्षक श्री प्रशांत गौतम (स्वाट टीम)
7. मु०आ० 549 दुर्वेश कुमार (स्वाट टीम)
8. आ० 10 आशतोष नवीन मिश्रा (स्वाट टीम)
9. आ० 489 प्रशान्त पाण्डेय (स्वाट टीम)